कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 07868 –241222 (नि.) 222288, फैक्स (का.) 241801 (नि.) 222960

–:: आदेश ::–

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक / कले / रीडर / 2020 / 291 कांकेर, दिनांक 01 जून, 2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / कले / रीडर / 2020 / 737 कांकेर दिनॉक 16 अप्रैल, 2020 द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण संभाव्यर प्रसार के दृष्टिगत संक्रमण से बचाव एवं प्रभावी रोकथाम हेतु Epidemic Act.1897 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला उत्तर बस्तर कांकेर में गुटखा, तम्बाकू एवं गुड़ाखू के क्रय–विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया था ।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / कले / SW / 2020 / 990 कांकेर, दिनांक 29 मई, 2020 के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिले में केवल स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकान / प्रतिष्ठानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखते हुए, **कन्टेमेंट जोन को छोड़कर** प्रातः 08.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक संचालन की अनुमति दी गई थी ।

उक्त आदेश के अनुक्रम में जिला उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत तंबाकू / पान / सिगरेट व बीड़ी / गुड़ाखू / गुटखा की दुकानों को एवं संबंधित थोक दुकानों को प्रातः 08.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जारी दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए संचालन की अनुमति निम्नांकित शर्तो के अधीन दी जाती है :–

- दुकान में सेनेटाईजर / हाथ धोने के लिए साबुन व पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ।
- पान ठेले / दुकान में विक्रय किए जाने वाले पदार्थ जैसे – तंबाकू / पान / सिगरेट व बीड़ी / गुड़ाखू / गुटखा / पाउच आदि का उपयोग / उपभोग सार्वजनिक स्थान / पान ठेले में किया जाना प्रतिबंधित होगा । इन सामाग्रियों का मात्र विक्रय किया जावेगा ।
- दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों एवं दुकानदारों कों मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा ।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है । सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाये जाने पर **अर्थदण्ड अधिकतम 100 रूपए ।**
- नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सूचना / जानकारी संबंधी पोस्टर / पाम्पलेट / फ्लैक्स आदि का दुकान में सार्वजनिक प्रदर्शन अनिवार्य होगा ।
- किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए पान ठेला / दुकान संचालक जिम्मेदार होगा ।

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव हेतु शासन एवं इस कार्यालय से **पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शर्ते यथावत रहेगी ।**

लॉकडाउन के दौरान जारी दिशा–निर्देशों / **आदेश का उल्लघंन किए जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 (1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड–19 विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत् जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।**

(के. एल. चौहान)
कलेक्टर,
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

''गढ़बो नवा छत्तीसगढ़''

Scanned with CamScanner

पृ. क्रमांक / कले / रीडर / 2020 / 292 कांकेर, दिनांक 01 जून, 2020

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. आयुक्त महोदय, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक, कांकेर रेंज कांकेर ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
8. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
9. उप संचालक जनसंपर्क कांकेर को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
10. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
11. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
12. सर्व थाना / चौकी प्रभारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
13. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर को आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु अग्रेषित।
14. अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।

कलेक्टर,
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

Scanned with CamScanner